उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग-2

संख्या-7/2016/1125/30-2-2016-03(25)/16

लखनऊ: दिनांक- 14 सितम्बर, 2016

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अनन्य रूप से चलायी जाने वाली दक्ष, पर्याप्त, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा की व्यवस्था करने की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित योजनाओं को प्रकाशित किया है;

और चूंकि राज्य सरकार नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिसूचना द्वारा स्तम्भ-3 में उल्लिखित अधिसूचित मार्गो पर स्तम्भ-4 में उल्लिखित सीमा तक निजी संचालकों को लोकहित में अपनी मंजिली गाडियां चलाने की अनुज्ञा प्रदान करना आवश्यक समझती है;

अतएव, अब, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन्, 1988) की धारा 102 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिसूचना द्वारा प्रकाशित अनुमोदित योजना में प्रत्येक के समक्ष उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मार्गो के संबंध में, स्तम्भ-4 में उल्लिखित सीमा तक लोकहित में उपान्तरण करते हैं और उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और प्रस्तावित उपान्तरण द्वारा सम्भावित रूप में प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना के लिए और उनसे अभ्यावेदन, यदि कोई हों, आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित करते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और कोई अन्य व्यक्ति, जिनका प्रस्तावित उपान्तरण द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, अभ्यावेदन, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-2, सचिवालय लखनऊ को कर सकते है।

इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों की सुनवाई, नियत समय के भीतर सुनवाई प्राधिकारी विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-2 बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ द्वारा दिनांक- 14 अक्तूबर ,2016 को 11 बजे कक्ष संख्या- 231 में की जायेगी।

<u>अनुसूची</u>

क्र. स.	अधिसूचना संख्या और दिनांक जिसके द्वारा मार्ग अधिसूचित किया गया है	अधिसूचित मार्ग का नाम, जिसमें उपान्तरण प्रस्तावित है	प्रस्तावित उपान्तरण
1	2	3	4
1	1239आर-डब्ल्यू/1056 आर-डब्ल्यू/85 दिनांक-13-02-1986 व 1635/तीस-2-93-365-85 दिनांक-29.05.1993	(1) मेरठ-बागपत-बड़ौत-छपरौली-टान्डा एवं सहबद्ध मार्ग (2)मुजफ्फरनगर-रोहना-देवबन्द-	(1)मेरठ-बागपत-बड़ौत-छपरौली-टान्डा एवं सहबद्ध मार्ग में निम्नलिखित 72 परमिट क्रमांक 7,5,9,10,13,14,15,17 योजना दिनांक- 29.05.1993 से 3533/109; 3419/135 3395/183; 3537/274; 3538/106; 3539/608;

http://shasanadesh.up.nic.in

		नागल-सहारनापुर एवं सहबद्ध मार्ग (3)मुजफ्फरनगर-चरथावला, थानाभवन-गढीखाम एवं सहबद्ध मार्ग (4) मुजफ्फरनगर - कुटेसरा वाया रोहना एवं सहबद्ध मार्ग	3540/117; 3541/116; 3542/262; 3543/104; 3544/121; 3545/468; 3546/812; 3547/126; 3548/371; 3549/288; 3550/113; 3551/107; 3552/112; 3553/110; 3554/843; 3555/28; 3556/31; 3557/902; 3558/717; 3559/273; 3560/119; 3561/128; 3562/124; 3563/272; 3564/125; 3565/271; 3566/99; 3567/359; 3568/373; 3569/105; 3570/835; 3571/140; 3572/100; 3573/103; 3574/352; 3575/108; 3576/111; 3577/380; 3578/120; 3579/127; 3580/123; 3581/317; 3582/122; 3583/946; 3584/118; 3585/82; 3586/378; 3587/949; 3588/36; 3589/747; 3590/441; 3591/493; 3592/453; 3593/101; 3594/764; 3595/944; 3596/945; 3597/98; 3598/370; 3599/102; 3600/7554; 3601/454; 3602/279; 3612/349; 3632/30; 3633/372; = 72 (2)मुजफ्फरनगर-रोहना-देवबन्द-नागल- सहारनपुर एवं सहबद्ध मार्ग के निम्नलिखित 54 परमिट योजना दिनांक-29.05.1993 में क्रम संख्या-27, 28,35,36,37, 1215/20; 71/एसआरई/29; 87/एसआरई/30; 1227/41; 1189/52; 1216/53; 1217/57; 1243/58; 1219/59; 1218/71; 1242/72; 84/एसआरई/78; 52/एसआरई/81; 1190/82; 1192/91; 1241/100; 1191/131; 1221/134; 1187/136; 1214/145; 1220/152; 1180/153; 53आईएसआरई/158; 1193/175; 1188/176; 1335/177; 195/191; 200/476; 214/477; 198/640; 1332/641; 194/642; 196/643; 215/644; 181/645; 646; 197/647; 199/648; 201/649; 160/891;

http://shasanadesh.up.nic.in

			162/892; 54/893/397; 1333/894; 156/895; 168/896; 157/897; 155/898; 1347/899; 184/900; 158आई901; 161/902; 159/903; 164/907; 163/908 = 54 (3) मुजफ्फरनगर-चरथावला, थानाभवन-गढीखाम एवं सहबद्ध मार्ग के निम्नलिखित 22 परमिट योजना दिनांक-29.05.93 में क्रम संख्या-26,27, 3393/507; 227/508; 228/576; 258; 382; 549/502; 1177/538; 1828; 1272/503; 40/511; 64/639; 1222/505; 62/509; 67/546; 85/544; 61/534; 90; 3523/504; 75/510; 38/512; 3426/549; 3522/506; = 22 (4) मुजफ्फरनगर-कुटेसरा वाया रोहना एवं सहबद्ध मार्ग के निम्नलिखित 4 परमिट योजना दिनांक-29.05.93 में क्रम संख्या-26,27,28 1558/3444; 1562/3442; 1565/3441; 1755/3440; = 4 उन निजी परिचालकों, जिनके उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम के साथ-साथ ऊपर उल्लिखित परमिट का परिचालन दिनांक-13-02-1986 के पूर्व था, का परिचालन उन अधिसूचित मार्गो पर अनुज्ञात होगा।

आज्ञा से,

ह0

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2016/1125(1)/30-2-2016-3(25)/16] तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने और प्रकाशित समाचार पत्रों की पॉच-पॉच प्रति परिवहन अनुभाग-2 कक्ष संख्या-321 तृतीय तल बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0
(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या-7/2016/1125(2)/30-2-2016-3(25)/16] तददिनांक।

प्रतिलिपि, अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तरण की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रश्नगत अधिसूचना को सरकारी गजट (असाधारण) की विधायी परिविष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियॉ शासन के परिवहन अनुभाग-2 कक्ष संख्या-321 तृतीय तल बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0
(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या-7/2016/1125(3)/30-2-2016-3(25)/16] तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
4- विधायी अनुभाग-1
5- सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,मेरठ/सहारनपुर सम्भाग (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- मंडलायुक्त, मेरठ/सहारनपुर।
7- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, एक-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0
(रामाश्रय प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SARKAR
PARIVAHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No-7/2016/1125/ XXX-2-2016-03(25)/16, Dated.14 September, 2016

NOTIFICATION

No- 7/2016/1125/XXX-2-2016-03(25)/16

Lucknow Dated: 14 September, 2016

Whereas, the State Government has published schemes mentioned in column-2 of the Schedule below under the Motor Vehicles Act, 1939 with a view to providing efficient adequate, economical and properly coordinated road transport services to be operated exclusively by the Uttar Pradesh State Road Transprot Corporation.

And whereas the State Government considers it necessary in the public interest to allow private operators to ply their stage carriages to the extent mentioned in column-4 on the routes mentioned in column-3, notified vide notifications mentioned in column-2 of the Schedule below.

Now therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 102 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) the Governor in the public interest is pleased to, make modification to the extent mentioned in column-4 of the Schedule below in the approved schemes published vide notifications mentioned in column-2 and in respect of routes mentioned against each in column-3 of the said Schedule and publishes the same as required under sub-section (2) of the said section for the information of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation and all persons likely to be affected by the proposed modification and with a view to inviting representations, if any, from them.

The Uttar Pradesh State Road Transport Corporation and any other person likely to be affected by the proposed modifications may representations, if any, with make in 30 days form the date of publication of this notification in the Gazette, to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Parivahan Anubhag-2, Sachivalaya, Lucknow.

http://shasanadesh.up.nic.in

The representations received in this behalf within the stipulated time will be heard by Hearing Authority Special Secretary, Uttar Pradesh

Shasan,Parivahan Anubhag-2, Bapu Bhavan. Sachivalaya, Lucknow. on 14 October, 2016 at 11a.m.in room no-231.

Schedule

Sl.No	Notification number and date by which the route was notified	Name of the notified route in which the modification is proposed	Proposed modification
1	2	3	4
1	1239R-W/1056R-W/85, dated 13-02-1986 1635/XXX/ 2-93-365-85 dated May29,1993	(1)Meerut-Baghpat-Baraut-chahaprauli-Tanda, & allied Routes (2) MuzaffarNagar-Rohana-Deoband-Nagal-Saharanpur, & allied Routes (3) MuzaffarNagar-Charthaval-ThanaBhawan-Garhikhan& allied Routes (4) MuzaffarNagar-Kutesara via Rohana, & allied Routes	(1)Below mentioned 72 Permits of Meerut-Baghpat-Baraut-chahaprauli-Tanda, & allied Routes at S.N.7,5,9,10,13,14,15,17 with scheme date.29-05-1993, **3533 / 109; 3419 / 135; 3395 / 183; 3537 / 274; 3538 / 106; 3539 / 608; 3540 / 117; 3541 / 116; 3542 / 262; 3543 / 104; 3544 / 121; 3545 / 468; 3546 / 812; 3547 / 126; 3548 / 371; 3549 / 288; 3550 / 113; 3551 / 107; 3552 / 112; 3553 / 110; 3554 / 107; 3555 / 28; 3556 / 31; 3557 / 902; 3558 / 717; 3559 / 273; 3560 / 119; 3561 / 128; 3562 / 124; 3563 / 272; 3564 / 125; 3565 / 271; 3566 / 99; 3567 / 359; 3568 / 373; 3569 / 105; 3570 / 835; 3571 / 140; 3572 / 100; 3573 / 103; 3574 / 352; 3575 / 108; 3576 / 111; 3577 / 380; 3578 / 120; 3579 / 127; 3580 / 123; 3581 / 317;**

http://shasanadesh.up.nic.in

			3582/122; 3583/946; 3584/118; 3585/82; 3586/378; 3587/949; 3588/36; 3589/747; 3590/441; 3591/493; 3592/453; 3593/101; 3594/764; 3595/944; 3596/945; 3597/98; 3598/370; 3599/102; 3600/7554; 3601/454; 3602/279; 3612/349; 3632/30; 3633/372; = 72 (2) Below mentioned 54 Permits of MuzaffarNagar-Rohana-Deoband-Nagal-Saharanpur, & allied Routes:-SI.No.27,28,35,36,37 in the scheme dated 29.05.1993 **27,28,35,36,37- 1215/20; 71/SRE/29; 87/SRE/30; 1227/41; 1189/52; 1216/53; 1217/57; 1243/58; 1219/59; 1218/71; 1242/72; 84/SRE/78; 52/SRE/81; 1190/82; 1192/91; 1241/100; 1191/131; 1221/134; 1187/136; 1214/145; 1220/152; 1180/153; 53iSRE/158; 1193/175; 1188/176; 1335/177; 195/191; 200/476; 214/477; 198/640; 1332/641; 194/642; 196/643; 215/644; 181/645; 646; 197/647; 199/648; 201/649; 160/891; 162/892; 54/893/397; 1333/894; 156/895; 168/896; 157/897; 155/898; 1347/899; 184/900; 158i901; 161/902; 159/903; 164/907; 163/908 = 54**

http://shasanadesh.up.nic.in

			(3)Below mentioned 22 Permits of MuzaffarNagar-Charthaval-ThanaBhawan-Garhikham& allied Routes:-SI. No.26,27 in the scheme date-29.05.1993, **3393/507; 227/508; 228/576; 258; 382; 549/502; 1177/538; 1828; 1272/503; 40/511; 64/639; 1222/505; 62/509; 67/546; 85/544; 61/534; 90; 3523/504; 75/510; 38/512; 3426/549; 3522/506; = 22** (4) Below mentioned 04 Permits of MuzaffarNagar-Kutesara via Rohana& allied Route:-SI.No.26,27, 28 in the scheme dated-29.05.1993 **,1558/3444; 1562/3442;1565/3441;1755/3440; = 4** The operation of those private operators who's permit was running before 13-02-1986 alongwith Uttar Pradesh State Road Transport Corporation shall be allowed on these notified route.

By order,
s/d
(Kumar Arvind Singh Deo)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in